रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052026-272284
CG-DL-E-06052026-272284

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2158] नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948
No. 2158] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2026

का.आ. 2247(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनिय, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5737(अ) तारीख 10 दिसंबर 2025, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 11 दिसंबर 2025, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में मुन्द्रा (गुजरात) से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पचपदरा, (राजस्थान) तक क्रूड ऑयल परिवहन के लिए (अरब मिक्स क्रूड ऑयल पाइपलाइन) एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 27-12-2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब] केन्द्रीय सरकार] उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
तालुका: मुंद्रा		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
1	लुणी	40	00	17	31
		41/1	00	19	81
		41/2	00	27	82
		43	00	45	16
		43/ पैकी1			
		45	00	38	05
		468/ पैकी22/ पैकी 2	00	26	38
		47	00	30	36
2	राघा	71/ पैकी6/ पैकी 1	01	65	74
		63/4	00	18	19
		63/3	00	08	05
		62/1	00	54	33
		56	00	10	23
		सर्वे.नं. 56 और 55/2 के बीच में नाला	00	07	49
		55/2	00	13	92
		55/3	00	01	54
		सर्वे.नं. 55/3 और 40/2 के बीच में गाडामार्ग (गुन्दाला से लुणी)	00	02	40
		40/2	00	30	20
		39	00	26	38
		38	00	47	81
		35	00	08	15
		34	00	51	82

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		33	00	30	27
		32	00	26	81
		सर्वे.नं. 71/ पैकी 6/ पैकी 1 में गाडामार्ग (गुन्दाला से लुणी)	00	05	40
		29	00	02	18
		27	00	20	97
		28	00	27	74
3	गुन्दाला	585/1/ पैकी 2	00	20	32
		161	00	14	29
		160	00	24	53
		159	00	59	91
		158	00	24	42
4	मोखा	208	00	41	03
		सर्वे.नं. 208 और 205/1 के बीच में -नाला	00	04	49
		205/1	00	18	75
		204	00	39	05
		201	00	10	72
		202	00	61	78
		191	00	49	72
		192	00	21	61

[फा. सं. आर-12031/4/2019-ओआर-I/ई-32788]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2026

S.O. 2247(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 5737 (E) dated the 10th December 2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 11th December 2025, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of Crude Oil from Mundra (Gujarat) to HPCL Rajasthan Refinery Limited, Pachpadra (Rajasthan), a Pipeline (Arab Mix Crude Oil Pipeline) by HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 27.12.2025;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan), free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
TALUKA: MUNDRA		DISTRICT: KACHCHH	STATE: GUJARAT		
1	LUNI	40	00	17	31
		41/1	00	19	81
		41/2	00	27	82
		43	00	45	16
		43/P1			
		45	00	38	05
		468/P22/P2	00	26	38
		47	00	30	36
2	RAGHA	71/P6/P1	01	65	74
		63/4	00	18	19
		63/3	00	08	05
		62/1	00	54	33
		56	00	10	23
		In Bet. Suy. No. 56 & 55/2 - Nala	00	07	49
		55/2	00	13	92
		55/3	00	01	54
		In Bet.Suy. No.55/3 & 40/2 - Cart Track (Gundala to Luni)	00	02	40
		40/2	00	30	20
		39	00	26	38

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		38	00	47	81
		35	00	08	15
		34	00	51	82
		33	00	30	27
		32	00	26	81
		In Suy. No.71/P6/P1- Cart Track (Gundala to Luni)	00	05	40
		29	00	02	18
		27	00	20	97
		28	00	27	74
3	**GUNDALA**	585/1P2	00	20	32
		161	00	14	29
		160	00	24	53
		159	00	59	91
		158	00	24	42
4	**MOKHA**	208	00	41	03
		In Bet. Suy. No.208 & 205/1 - Nala	00	04	49
		205/1	00	18	75
		204	00	39	05
		201	00	10	72
		202	00	61	78
		191	00	49	72
		192	00	21	61

\

[F. No. R-12031/4/2019-OR-I/E-32788]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.06 21:50:18 +05'30'